न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 192/2016 **दायरा दिनांक : 22.04.2016**

उनवान

1– छीतरलाल आत्मज श्री नाथूलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हानीहेडा, तहसील अटरू, जिला बारां

2– कुंज बिहारी आत्मज छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हानीहेडा, तहसील अटरू, जिला बारां

3– देवीलाल आत्मज छीतरलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हानीहेडा, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 21.11.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 29/2015 निर्णय दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम की बतौर प्रार्थना पत्र निर्णित कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम हानीहेडा, तहसील अटरू की खसरा नम्बर 463 रकबा 0.50 हेक्टर भूमि को सिवाय चक आराजी घोषित कर तहसीलदार अटरू को निर्देशित करने में त्रुटि की है कि वह विवादित आराजी को तुरन्त कब्जा सरकार में लेवे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात बनाये बिना ही साक्ष्य प्रतिवादी लिये बिना ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । ग्राम हानीहेडा, तहसील अटरू की खसरा नम्बर 463 रकबा 0.50 हेक्टर भूमि राधाकिशन आत्मज श्री नाथू, जाति धाकड, निवासी हानीहेडा की खाते में दर्ज थी, जिसके कोई संतान नहीं थी तथा पत्नी भी नहीं थी । मृतक खातेदार राधाकिशन का अपीलांट नम्बर 1 छीतरलाल का सगा भाई होने से उत्तराधिकारी है तथा उपरोक्त आराजी का कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व खातेदार राधाकिशन की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज समस्त सहकृषकों को पक्षकार बनाये बिना ही एवं समस्त सहकृषकों को सूचना दिये बिना ही एवं उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही हुकम जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । वादी रेस्पोडेंट द्वारा धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्त 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार हुकम जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी कृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है । इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुकम जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अपीलांट ने धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने आर आर टी 2015 (2) पेज 990 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । जमाबंदी में तलाई खुदाई अंकित है, पटवारी रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट में भिन्नता है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में धारा 177 व 178 आर टी एक्ट की पालना नहीं की गई है । अतः अपील रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पटवारी व तहसीलदार की स्पष्ट रिपोर्ट पुनः प्राप्त कर एवं धारा 177 व 178 आर टी एक्ट की पालना कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2020 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा